रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97 REGD. NO. D. L -33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 238] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 12, 1997/ज्येष्ठ 22, 1919
No. 238] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 12, 1997/JYAISTHA 22, 1919

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 1997

सा. का. नि. 320(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम की मंजूरी) (संशोधन) विनियम, 1997 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम की मंजूरी) विनियम, 1969 - संशोधन

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा-124 (1) और (2) के साथ पठित धारा-28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन का न्यासी मण्डल मुरगांव पत्तन कर्मचारी (वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम की मंजूरी) विनियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:

1. (i) संक्षिप्त नाम : इन विनियमों को मुरगांव पत्तन कर्मचारी (वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम की मंजूरी)(संशोधन) विनियम, 1997 कहा जाएगा।

(ii) ये उस तारीख से प्रभावी होंगे जिस तारीख को भारत के राजपत्र में केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्रकाशित होता है।

2. मौजूदा विनियम-14 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :

"इन विनियमों के अधीन अग्रिम की मंजूरी"

(क) अध्यक्ष द्वारा विभाग प्रमुखों और ऐसे पदधारियों को जिन पदों के सृजन के लिए महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता है;

(ख) उपाध्यक्ष द्वारा सभी अन्य श्रेणी-1 और 2 अधिकारियों को;

(ग) संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा सभी श्रेणी-3 और 4 कर्मचारियों को अग्रिम की मंजूरी दी जाएगी।

3. विनियम-17(1) (क) को हटा दिया जाए।

विनियम-20 में संशोधन :

4. विनियम-20 की टिप्पणी (2) के नीचे निम्नलिखित को टिप्पणी-(3) के रूप में जोड़ा जाए :

टिप्पणी-3 :

"जहां किस्तों की वसूली वेतन/छुट्टी वेतन बिलों से प्रभावी किया जाता है और कर्मचारी को वेतन/छुट्टी वेतन समय पर आदान नहीं किया गया हो, और कुछ प्रशासनिक कारणों से कर्मचारी वेतन का दावा प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो आदान की वास्तविक तारीख का लिहाज किये बिना ही वेतन/छुट्टी वेतन जिस महीने से संबंधित है उसके अगले महीने से अग्रिम के बारे में कटौती किया गया माना जाएगा ।"

विनियम-21 में संशोधन :

5. विनियम-21 के नीचे निम्नलिखित को टिप्पणी-4 और 6 के रूप में जोड़ा जाए :

(1) **टिप्पणी-4:** इन विनियमों में "वास्तविक मूल्य" शब्द में बिक्री कर और ऐसी मदें यथा, स्पेयर व्हील टायर और ट्यूब अथवा स्कूटर में पिलियन सीट, जिसे खरीदने के लिए खरीददार के लिए कोई विकल्प नहीं है, शामिल है। किन्तु, इसमें कुछ अतिरिक्त मदें जैसे कि काम में रेडियो, प्लास्टिक कवरें जो कि जरूरी नहीं हैं और ग्राहक अपनी इच्छा से खरीदता है। वाहनों की बीमा और पंजीकरण प्रभार भी 'वास्तविक मूल्य" में शामिल नहीं है।

(2) **टिप्पणी-5:** "वास्तविक मूल्य" शब्द में नये कार की बुकिंग के समय कर्मचारी द्वारा डीलर को प्रदत्त पंजीकरण रकम, जिसे आबंटन डिलीवरी देते समय डीलर द्वारा नये कार मूल्य में समंजन किया जाता है, शामिल है।

(3) **टिप्पणी-6:** जहां कर्मचारी दो प्रकार के वाहनों को अर्थात् एक मोटारकार और एक मोटार साईकल/स्कूटर/मोपेड रखना चाहता हो और मण्डल से लिये गये अग्रिम से एक प्रकार के वाहन की खरीद की है और दूसरे प्रकार के वाहन की खरीद के लिए अग्रिम चाहता हो तो पहले वाले वाहन को बेचने की जरूरत के बिना ही इन विनियमों के प्रावधानों के तहत उसे इसके लिए अग्रिम की मंजूरी दी जाएगी बशर्ते कि नया अग्रिम लेने से पहले ब्याज सहित बकाया रकम को वापस करता है। इस प्रकार दी गई अग्रिम को दूसरी अग्रिम मानी जाएगी।

6. **विनियम-27 में संशोधन :**

(1) विनियम-27 के नीचे टिप्पणी-2 के खण्ड (क) में "उपयोग" शब्द के बाद आने वाले "नई कार की खरीद के लिए किया जाना चाहिए" शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए।

"पुरानी कार बेचने की तारीख से एक महीने के भीतर नई कार की खरीद के लिए किया जाना चाहिए।"

(2) विनियम-27 के नीचे टिप्पणी-2 के खण्ड (घ) को हटा दिया जाए और खण्ड (ङ) को खण्ड (घ) के रूप में नई संख्या दी जाए।

7. **विनियम-28 में संशोधन :**

विनियम-28 के नीचे निम्नलिखित को टिप्पणी-3, 4, 5 और 6 के रूप में जोड़ा जाए :

(1) **टिप्पणी-3 :** मोटार कार खरीदने हेतु अग्रिम का आवेदनपत्र समय से पूर्व दिया जाए और अग्रिम की मंजूरी देने वाले सक्षम प्राधिकारी यथा शीघ्र मंजूरी देगा। तथापि, अग्रिम तभी लिया जाए जब संबंधित कर्मचारी को डीलर से यह लिखित आश्वासन दिया जाता है कि एक महीने के भीतर कार उपलब्ध कराया जा सकता है और इस आशय अग्रिम के बिल पर प्रमाणपत्र दर्ज किया जाता है।

डीलर द्वारा लिखित आश्वासन देने के बावजूद भी आपूर्ति में देरी हो तो कर्मचारी एक महीने की अनुमत अवधि की समय-सीमा को बढ़ाने के लिए आवेदन देगा तथा और अधिक अवधि तक अग्रिम को रखने के लिए अनुमति लेगा। इस प्रकार के प्रत्येक अनुरोध के साथ डीलर से लिया हुआ पत्र देना होगा जिसमें आपूर्ति की संभावित अवधि को सूचित किया जाएगा। इस प्रकार के अनुरोध को उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाएगा।

(2) **टिप्पणी-4 :** जहां कर्मचारी कार खरीदने हेतु लिए गए महीने की समाप्ति से पूर्व अग्रिम की संपूर्ण राशि को वापस करता है, तो ब्याज की वसूली कर्मचारी द्वारा अग्रिम रखने की वास्तविक अवधि तक के लिए किया जाएगा।

(3) **टिप्पणी-5 :** अग्रिम मंजूर करने वाला प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी से कहेगा कि वह वाहन खरीदने की तारीख से एक महीने के भीतर अथवा अग्रिम लेने की तारीख से दो महीने के भीतर, जो भी पहले हो, पंजीकरण पुस्तक लेखा अधिकारी के पास पेश करें ताकि यह देखा जा सके कि उसके द्वारा खरीदा गया वाहन सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके नाम में वास्तव में अंतरित किया गया है। ऐसा नहीं करने पर अग्रिम लेने की तारीख से पंजीकरण पुस्तक प्रस्तुत करने तक उपर्युक्त टिप्पणी-2 में यथा प्रावधान अग्रिम की संपूर्ण रकम पर दाण्डिक ब्याज कर्मचारी को देना होगा। यदि यह स्थापित किया गया हो कि पंजीकरण पुस्तक प्रस्तुत करने में देरी कर्मचारी द्वारा नहीं हुई है तो इस प्रकार की देरी की अवधि के लिए पंजीकरण पुस्तक देर से प्रस्तुत करने के लिए दाण्डिक ब्याज नहीं लगाया जाएगा।

(4) **टिप्पणी-6** : मंजूरी देने वाला प्राधिकारी कर्मचारी से कहेगा कि निर्धारित समय के भीतर नकद रसीद संवीक्षा प्रस्तुत करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित समय के भीतर वाहन की खरीद के लिए अग्रिम का उपयोग किया गया है और विनियम-21 के नीचे टिप्पणी-1 में परिभाषित "वास्तविक मूल्य" अग्रिम की रकम से कम नहीं है। इस बाबत का प्रमाणपत्र कि नकद रसीद प्राप्त हुई है और संवीक्षा के बाद इसका सत्यापन कर लिया गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर वाहन की खरीद के लिए संपूर्ण अग्रिम की रकम का उपयोग किया गया है तथा विनियम-21 के नीचे टिप्पणी-1 में यथा परिभाषित "वास्तविक मूल्य" अग्रिम की रकम से कम नहीं है। यह प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से लेखा अधिकारी को पेश किया जाएगा। इसके बाद नकद रसीद कर्जदार को वापस की जाए।

8. **विनियम-29 में संशोधन :**

विनियम-29 में संलग्न फार्म "च" के बाद और" अथवा "छ" शब्दों को जोड़ा जाए।

9. **विनियम-32 में संशोधन :**

विनियम-32 में "मोटर स्कूटर" शब्दों के बाद —

"अथवा मोपेड" शब्दों को जोड़ा जाए तथा इस विनियम के अंत में "इस प्रकार के अग्रिम पर वही शर्तें लागू होती हैं जो मोटर कार की खरीद के अग्रिम पर लागू होती हैं ।" शब्दों को जोड़ा जाए ।

विनियम-37 में संशोधन

10. "घ—पर्सनल कंप्यूटर" शीर्षक के तहत निम्नलिखित को नया विनियम-37 के रूप में जोड़ा जाए :

"घ—पर्सनल कंप्यूटर"

विनियम-37(क) : विनियम-14 के अनुसार मोटरकार की खरीद हेतु अग्रिम की मंजूरी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, कर्मचारी को जो विनियम-17 के अनुसार मोटरकार अग्रिम की मंजूरी के लिए अन्यथा पात्र हैं, पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए रु. 45,000/- अथवा प्रत्याशित मूल्य (जिसमें सीमा शुल्क यदि कोई हो शामिल नहीं है) की मंजूरी दे सकता है ।

मंजूरी के लिए शर्तें :

(1) कर्मचारी मोटरकार या पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम ले सकता है बशर्ते कि उसने इससे पहले मोटरकार/कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम, यदि कोई हो, ब्याज सहित पूरी तरह अदा किया हो ।

(2) कर्मचारी, जिसने मोटरकार की खरीद के लिए अग्रिम लिया हो और अग्रिम लेने की तारीख से 4 वर्ष पूरे नहीं हुए हों तो वह पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम की मंजूरी के लिए पात्र नहीं होगा । इसी प्रकार, कर्मचारी को पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम की मंजूरी के 4 वर्ष बाद ही मोटरकार खरीदने के लिए अग्रिम की मंजूरी दी जा सकती है ।

(3) पर्सनल कंप्यूटर को मण्डल के नाम बंधक रखना होगा और इसके लिए "मोटर वाहन" शब्दों को बदलकर "पर्सनल कंप्यूटर" लिखते हुए फार्म "च" का उपयोग किया जाए । इसी प्रकार "मोटार वाहन" शब्दों को बदलकर पर्सनल कंप्यूटर लिखते हुए मोटरकार की खरीद के लिए अग्रिम लेने के लिए करार फार्म "ग" और "ड." का उपयोग इसके लिए किया जाए ।

(4) पर्सनल कंप्यूटर खरीदने हेतु अग्रिम की मंजूरी के लिए आवेदनपत्र फार्म "ग" में दिया जाना होगा ।

(5) पर्सनल कंप्यूटर पर सीमा शुल्क की अदायगी के लिए कोई भी अग्रिम मंजूर नहीं की जाएगी ।

अग्रिम की वसूली :

(6) पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए मंजूर अग्रिम की वसूली कर्मचारी द्वारा चयनित समान मासिक किस्तों में की जाएगी, किन्तु इन किस्तों का संख्या 150 से अधिक नहीं होगी ।

ब्याज :

(7) पर्सनल कंप्यूटर की खरीद के लिए कर्मचारियों को मंजूर अग्रिमों पर मोटरकार अग्रिम के लिए समय समय पर मण्डल द्वारा निर्धारित साधारण ब्याज लगाया जाएगा ।

(8) मोटरकार अग्रिम की मंजूरी के लिए यथानियमित इन विनियमों में निहित सभी अन्य शर्तें अग्रिम, जिसे पर्सनल कंप्यूटर की खरीद के लिए मंजूर की जाती हैं, पर लागू होंगी ।

विनियम-39 में संशोधन :

निम्नलिखित को नया विनियम 39 के रूप में जोड़ा जाए :

''विनियम-39 : सरकारी आदेशों का अंगीकरण''

12. मौजूदा फार्म ''घ'', ''ड.'', ''च'', और ''छ'' के स्थान पर संलग्न नये फार्मों ''घ'', ''ड.'', ''च'', और ''छ'', को रखा जाए, नये फार्म यथा ''ज'' और ''झ'' को समाविष्ट किया जाए ।

[फा. सं. पी. आर-12016/8/96-पीई I]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल विनियमों को गोवा, दमन और दीव राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया गया देखें, 27-जीए (12)/69 दिनांक 04/09/1969 और बाद में इनका संशोधन किया गया देखें :—

1. सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 10-3-87
2. सा.का.नि. सं. 569(अ) दिनांक 23-8-93

फार्म—''डी''/(ग)

(विनियम 29 देखिए)

मोटर गाड़ी/पर्सनल कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम लेने से पूर्व निष्पादन के लिए करार का प्ररूप

ऋणकर्ता का नाम ....(जिसे इसमें इसके पश्चात ऋणकर्ता कहा गया है) और अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक और कानूनी प्रतिनिधि शामिल हैं (जो इस करार का एक पक्ष है और मुरगांव पत्तन न्यासी मण्डल) (जिसे इसमें इसके पश्चात बोर्ड कहा गया है और जिसमें बोर्ड के उत्तराधिकारी और समनुदेशित शामिल हैं) जो इस करार का दूसरा पक्ष है के बीच वर्ष एक हजार नौ सौ और.................... के...महीने के...दिन को एक करार किया गया, और चूंकि ऋणकर्ता ने मुरगांव पत्तन कर्मचारी (वाहनों की खरीद के लिए अग्रिमों की मंजूरी) विनियम, 1969 (जिसका इसके पश्चात् उक्त विनियमनों के रूप में उल्लेख किया गया है और जिसमें उसके इस समय लागू संशोधन भी शामिल हैं) के उपबन्धों के अंतर्गत पर्सनल कंप्यूटर की खरीद के लिए....................................रुपये के ऋण के लिए बोर्ड को आवेदन दिया है और चूंकि बोर्ड ऋणकर्ता को इसके पश्चात वर्णित शर्तों पर उक्त राशि उधार देने पर सहमत है इसलिए अब इस करार के पक्षों के बीच यह सहमति हुई है कि बोर्ड द्वारा ऋणकर्ता को दी गई..रुपये की राशि (जिसकी प्राप्ति ऋणकर्ता एतद्द्वारा स्वीकार करता है) को ध्यान में रखते हुए ऋणकर्ता एतद्द्वारा बोर्ड से इस बातों के लिए सहमत है, (1) वह विनियमनों में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार अपने वेतन में से मासिक कटौतियां कटवा करके उक्त विनियमनों के अनुसरण में लगाए गए ब्याज समेत उक्त राशि की बोर्ड को अदायगी करेगा और एतद्द्वारा बोर्ड को ऐसी कटौतियां करने का प्राधिकार देता है, और (2) इस करार की तारीख से एक महीने के अन्दर उक्त ऋण की पूरी रकम से कम हो तो बची हुई रकम को तुरन्त बोर्ड को वापस कर देगा, और (3) जैसा कि ऊपर कहा गया है ऋणकर्ता को उधार दी गई रकम की जमानत के रूप में पर्सनल कंप्यूटर को बोर्ड के पास बन्धक रखने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेगा और उक्त विनियमों में दी गई व्यवस्था के अनुसार ब्याज अदा करेगा और अन्त में एतद्द्वारा इस बात पर सहमत है और घोषित करता है कि यदि मोटर वाहन को इस करार की तारीख से एक महीने के अन्दर, जैसा कि उपर बताया गया है, खरीदा न गया और उसे बन्धक नहीं रखा गया अथवा यदि इस अवधि में ऋणकर्ता दिवालिया हो जाता है अथवा बोर्ड की नौकरी छोड़ देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऋण की पूरी रकम ब्याज समेत तुरन्त देय हो जाएगी और उसका भुगतान करना होगा ।

इसके साक्ष्य में ऋणकर्ता और..ने बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से इस करार पर उपर लिखे दिन और वर्ष को अपने अपने हस्ताक्षर किए हैं ।

निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त
पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित

———————————————— ————————————————

———————————————— ————————————————

(साक्षियों के हस्ताक्षर) (ऋणकर्ता के हस्ताक्षर और उसका पद)

द्वारा हस्ताक्षरित (नाम और पद)

————————————————

न्यासी बोर्ड के लिए और उसकी ओर से
निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित

———————————————— ————————————————

———————————————— ————————————————

(साक्षियों के हस्ताक्षर) (अधिकारी के हस्ताक्षर और पद)

फार्म "ई"/(घ)

(विनियम 29 देखिए)

मोटार गाडी/पर्सनल कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम लेने से पूर्व निष्पादन के लिए करार का प्ररूप

ऋणकर्ता का नाम (जिसे इसमें इसके पश्चात ऋणकर्ता कहा .....गया है और इस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक और कानूनी प्रतिनिधि शामिल हैं) जो इस करार का एक पक्ष और मुरगांव पत्तन न्यासी मण्डल (इसे इसमें इसके पश्चात बोर्ड कहा गया है और इसमें बोर्ड के उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं) जो इस करार का दूसरा पक्ष है के बीच वर्ष एक हजार नौ सौ और ....के .....महीने के .....दिन को एक करार किया गया।

चूंकि ऋणकर्ता ने इस करार के अंतर्गत दी गई अनुसूची में वर्णित पर्सनल कंप्यूटर (जिसका इसके पश्चात उक्त कंप्यूटर के रूप में उल्लेख किया जाएगा) की खरीद करनी है/खरीद करने का निश्चय किया है और चूंकि ऋणकर्ता ने मुरगांव पत्तन कर्मचारी (वाहनों की खरीद के लिए अग्रिमों की मंजूरी) विनियम, 1969 (जिसका इसके पश्चात उक्त विनियमनों के रूप में उल्लेख किया गया है और जिसमें उस समय लागू संशोधन भी शामिल है) के उपबन्धों के अंतर्गत पर्सनल कंप्यूटर खरीद के लिए .....रुपये के ऋण के लिए बोर्ड को आवेदन दिया है और चूंकि बोर्ड ऋणकर्ता को इसके पश्चात वर्णित शर्तों पर उक्त राशि उधार देने पर सहमत है इसलिए अब इस करार के पक्षों के बीच सहमति हुई है कि बोर्ड द्वारा ऋणकर्ता को दी गई .....रुपए की राशि (जिसकी प्राप्ति ऋणकर्ता एतद्द्वारा स्वीकार करता है) को ध्यान में रखते हुए ऋणकर्ता एतद्द्वारा बोर्ड से इन बातों के लिए सहमत है: (1) वह विनियमनों में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार अपने वेतन में से मासिक कटौतियां कटवा करके उक्त विनियमनों के अनुसरण में लगाए गए ब्याज समेत उक्त राशि की बोर्ड को अदायगी करेगा और एतद्द्वारा बोर्ड को ऐसी कटौतियां करने का प्राधिकार देता है, और (2) इस करार की तारीख से एक महीने के अन्दर उक्त ऋण की पूरी रकम को उक्त पर्सनल कंप्यूटर की खरीद के लिए उसके द्वारा गैर सरकारी पक्षों (बैंक) से लिए गए किसी ऋण की वापसी के लिए खर्च करेगा और यदि अदा किया गया वास्तविक मूल्य ऋण की रकम से कम हो तो शेष बची रकम को फौरन बोर्ड को वापस कर देगा, और (3) जैसा कि ऊपर कहा गया है ऋणकर्ता को उधार दी गई रकम की जमानत के रूप में मोटर वाहन को बोर्ड के पास बन्धक रखने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेगा और उक्त विनियमों में दी गई व्यवस्था की अनुसार—ब्याज अदा करेगा और अन्त में एतद्द्वारा इस बात पर सहमत है और घोषित करता है कि यदि पर्सनल कंप्यूटर को इस करार की तारीख से एक महीने के अन्दर जैसा कि ऊपर बताया गया है, खरीदा न गया और उसे बंधक नहीं रखा गया अथवा यदि ऋणकर्ता इस करार की तारीख से एक महीने के अन्दर उक्त पर्सनल कंप्यूटर की खरीद के व्यक्त प्रयोजन के लिए किसी गैर सरकारी पक्ष (बैंक) से लिए गए ऋण की वापसी न कर सके अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऋण की पूरी रकम ब्याज समेत फौरन देय हो जाएगी और उसकी अदायगी करनी होगी।

अनुसूची

पर्सनल कंप्यूटर का विवरण	:
निर्माता का नाम	:
ब्यौरा	:
सिलिन्डर्स की संख्या	:
इंजिन संख्या	:
चैसिस संख्या	:
मूल्य	:

इसके साक्ष्य में ऋणकर्ता और .....ने बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से इस करार पर ऊपर लिखे दिन और वर्ष को अपने अपने हस्ताक्षर किए हैं।

पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित

_____ _____

_____ _____

(साक्षियों के हस्ताक्षर) (ऋणकर्ता के हस्ताक्षर और उसका पद)

द्वारा हस्ताक्षरित (नाम और पद)

_____

न्यासी मण्डल के लिए और उसकी ओर से

निम्नलिखित की उपस्थिति में

———————————————————— ————————————————————

———————————————————— ————————————————————

साक्षियों के हस्ताक्षर (अधिकारी के हस्ताक्षर और उसका पद)

*ऋणकर्ता का नाम और उसका पदनाम

फार्म "एफ"/(च)

बंधकपत्र फार्म—मोटर वाहन/पर्सनल कंम्प्यूटर प्रारम्भिक अग्रिम के लिए करार

ऋणकर्ता का नाम (जिसे इसमें इसके पश्चात ऋणकर्ता कहा)..................................गया और इस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक और कानूनी प्रतिनिधि शामिल है। जो इस करार का एक पक्ष है और मुरगांव पत्तन न्यासी मण्डल (जिसे इसमें इसके पश्चात बोर्ड कहा गया है और जिसमें बोर्ड के उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी शामिल हैं) जो इस करार का दूसरा पक्ष है के बीच वर्ष एक हजार नौ सौ और ....के ....महीने के ....दिन को एक करार किया गया। चूंकि ऋणकर्ता ने मुरगांव पत्तन कर्मचारी (वाहनों की खरीद के लिए अग्रिमों* की मंजूरी) विनियमन, 1969 (जिनका इसके पश्चात् "उक्त विनियमनों" के रूप में उल्लेख किया गया है और जिसमें उसके इस समय लागू संशोधन और की जाने वाली वृद्धि भी शामिल हैं) के विनियमन 21 से 32 तक की शर्तों पर मोटर वाहन की खरीद के लिए ....रु. के अग्रिम के लिए आदेश किया है और जो उसे मंजूर कर दिया गया है और चूंकि ऋणकर्ता को इस शर्त पर अग्रिम मंजूर किया गया है/या कि ऋणकर्ता वाहन की खरीद के लिए महीने के अन्दर उक्त मोटर वाहन को उधार दी गई राशि के संबंध में जमानत के रूप में बोर्ड के पास बंधक रखेगा। बोर्ड द्वारा इस प्रकार दी गई उपरोक्त राशि से पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से खरीदे गए वाहन के ब्यौरे इसके नीचे दी गई अनुसूची में दिए गए हैं।

इसलिए अब यह करार इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में तथा उपरोक्त राशि को ध्यान में रखते हुए ऋणकर्ता उपरोक्त ....रुपए की राशि अथवा इस करार की तारीख तक अदा न की गई उसकी शेष राशि को हर महीने की पहली तारीख को......................रुपये की बराबर-बराबर किस्तों में बोर्ड को अदायगी करने का वचन देता है और उस समय देय राशि पर ब्याज जो उक्त विनियमों के अनुसार लगाया गया होगा अदा करेगा और ऋणकर्ता इस बात से सहमत है कि उक्त विनियमनों में दी गई रीति से उसके वेतन में से मासिक कटौतियां करके इन किस्तों की वसूली की जाए और ऋणकर्ता उक्त विनियमनों के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित उक्त अग्रिम और उस पर ब्याज के संबंध में जमानत के रूप में मोटर वाहन को बोर्ड के सुपुर्द करता है तथा उसके नामे अन्तरण करता है। मोटर वाहन के ब्यौरे इसके नीचे दी गई अनुसूची में दिए गए हैं।

ऋणकर्ता एतद्द्वारा सहमत है और घोषणा करता है कि उसने उक्त मोटर वाहन की खरीद की पूरी कीमत चुका दी है और मोटर वाहन उसकी पूरी तरह से अपनी सम्पत्ति है और जब तक उक्त अग्रिम के संबंध में बोर्ड की कोई राशि बकाया रहेगी तब तक वह उक्त मोटर वाहन को न तो बेचेगा, न गिरवी रखेगा और न ही इस सम्पत्ति से अलग होगा अथवा उसका कब्जा नहीं छोड़ेगा। किन्तु सदा इस बात का ध्यान रखेगा और एतद्द्वारा इस बात की सहमति दी जाती है और यह घोषित किया जाता है कि यदि मूलधन ब्याज की कोई उक्त किस्त उसके देय होने की तारीख से दस दिन के अन्दर अन्दर उक्त ढंग से अदा न करने पर अथवा उसकी वसूली न होने पर अथवा यदि ऋणकर्ता उक्त मोटर वाहन को बेच देता है अथवा गिरवी रख देता है, अथवा सम्पत्ति से अलग हो जाता है अथवा उसका कब्जा छोड देता है अथवा दिवालिया हो जाता है अथवा अपने ऋणदाताओं के साथ कोई समझौता अथवा व्यवस्था कर लेता है अथवा यदि कोई व्यक्ति ऋणकर्ता के खिलाफ ऐसी डिक्री अथवा निर्णय के क्रियान्वयन के लिए मुकदमा कर देता है तो मूलधन की पूरी पूरी राशि जो उस समय देय और बकाया होगी उपरोक्त रीति से लगाए गए ब्याज समेत तुरंत अदा की जानी होगी और एतद्द्वारा यह सहमति दी जाती है और घोषित किया जाता है कि बोर्ड इसमें पहले वर्णित किन्हीं घटनाओं के घटित होने पर उस मोटर वाहन का अभिग्रहण कर लेगा और उसका कब्जा ले लेगा और या तो उसे लिए बिना उस पर अपना कब्जा रखेगा या उसे लेकर मोटर वाहन को सार्वजनिक नीलामी द्वारा अथवा गैर सरकारी संविदा द्वारा उक्त मोटर वाहन को बेच देगा और बिक्री की रकम का एक भाग उस समय बकाया बची उक्त अग्रिम की रकम और उपरोक्त ढंग से उस पर लगाए गए ब्याज और इस करार के अंतर्गत अपने अधिकारों को बनाए रखने, उसका बचाव करने अथवा वसूली करने के संबंध में खर्च की गई सभी लागतों, प्रभारों, खर्चों के लिए रख लेगा और यदि कोई राशि शेष बच जाएगी तो वह उसे ऋणकर्ता, उसके निष्पादकों, प्रशासकों अथवा उसके निजी प्रतिनिधियों को अदा कर देगा किन्तु इसके अतिरिक्त उक्त मोटर वाहन का कब्जा लेने अथवा उसे बेचने की उपरोक्त शक्ति के अंतर्गत उक्त देय बकाया राशि और उस पर ब्याज के संबंध में अथवा यदि मोटर वाहन को बेच दिया गया हो तो ऋण की राशि से बिक्री की निवल राशि जितनी कम हो उसके संबंध में ऋणकर्ता अथवा उसके निजी प्रतिनिधियों पर मुकदमा करने के बोर्ड के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव और ऋणकर्ता एतद्द्वारा यह घोषणा करता है कि और इस बात के लिए सहमत है कि जब तक बोर्ड द्वारा दिए गए ऋण की रकम देय और बकाया रहेगी तब तक ऋणकर्ता बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी के पास उक्त मोटर वाहन का अग्रिम, चोरी अथवा दुर्घटना से होने वाली किसी हानि अथवा क्षति के खिलाफ बीमा करवाता रहेगा और बोर्ड को संतोषप्रद रूप में यह साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि जिस मोटर बीमा कंपनी के पास उक्त मोटर वाहन का बीमा करवाया गया है उसे पालिसी में बोर्ड की दिलचस्पी से संबंधित नोटिस प्राप्त हो गया है और ऋणकर्ता एतद्द्वारा इस बात के लिए भी सहमत है कि वह उक्त मोटर वाहन को सामान्य रूप से होने वाली टूट-फूट से अधिक नष्ट, क्षतिग्रस्त अथवा खराब नहीं होने देगा और इसके अलावा ऋणकर्ता उक्त मोटर वाहन को कोई क्षति पहुचने अथवा दुर्घटना होने की स्थिति में उसकी तुरन्त मरम्मत करवा कर उसे ठीक करवाएगा।

अनुसूची

मोटर वाहन का विवरण :

निर्माता का नाम :

विवरण :

सिलिन्डर्स की संख्या :

इंजिन संख्या :

चेसिस संख्या :

इसके साक्ष्य में ऋणकर्ता और.................................ने बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से इस करार पर उपर लिखे दिन और वर्ष को अपने अपने हस्ताक्षर किए हैं।

निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित

1. ————————————————————— ———————————————————————————

2. ————————————————————— (ऋणकर्ता के हस्ताक्षर और पद)

(साक्षियों के हस्ताक्षर)

द्वारा हस्ताक्षरित (नाम और पद)

————————————————————— ———————————————————————————

(अधिकारी के हस्ताक्षर और पद)

न्यासी बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

1. —————————————————————

2. —————————————————————

(साक्षियों के हस्ताक्षर)

(ऋणकर्ता का नाम और उसका पद)

(पर्सनल कम्प्यूटर, एवजी ''पर्सनल कम्प्यूटर'', मोटर वाहन के लिए बंधकपत्र)

फार्म ''जी'' (छ)

[विनियम 29 के नीचे टिप्पणी (1) देखिए]

बीमा कंपनी को पत्र

प्रेषक,

सेवा में,

(लेखा अधिकारी के माध्यम से)

प्रिय महोदय,

आपको सूचित करना है कि न्यासी मण्डल आपकी कंपनी में बीमा कराई गई मोटर कार /साईकिल/स्कूटर की बीमा पालिसी संख्या.......... से सम्बद्ध है और यह अनुरोध करना है कि आप पालिसी में निम्नलिखित से संबंधित एक धारा जोड़ने का कष्ट करेंगे।

बीमा पालिसी में जोड़ी जाने वाली धारा का प्रारूप

1. एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है और सहमती दी जाती है कि श्री .... (जो मोटर कार/साइकिल/स्कूटर के और जिनका इस पालिसी की अनुसूची में बीमित के रूप में उल्लेख किया गया है) ने मोटर कार/साईकिल/स्कूटर को न्यासी मण्डल (जिसे इसके पश्चात् 'बोर्ड ' कहा जाएगा) को मोटर/कार/साईकिल/स्कूटर खरीद संबंधी अग्रिम के संबंध में जमानत दी जाती है कि उक्त श्री...को (जो इस पालिसी के अंतर्गत बीमित है) उक्त मोटर कार/साईकिल/स्कूटर को हानि पहुंचने अथवा उसके क्षतिग्रस्त होने (ऐसी हानि या क्षति जो मरम्मत, पुन: स्थापना अथवा प्रतिस्थापन के जरिए ठीक न हो सकती हो) के संबंध में दिया जाने वाला धन जिसमें इस पृष्ठांकन के फलस्वरूप बोर्ड का भी हिस्सा है ऐसे धन की बोर्ड को अदायगी की जाएगी क्योंकि बोर्ड मोटर कार/साइकिल /स्कूटर का बंधकदार है और कंपनी पर ऐसी हानि अथवा क्षति के संबंध में उसको पूरी तथा अंतिम रूप से अदायगी करने की जिम्मेदारी है।

2. अभिव्यक्त रूप से जैसा इस पृष्ठांकन में सम्मत है उसके सिवाय इसकी किसी बात से इस पालिसी अथवा उसकी किसी शर्त उपबन्ध अथवा उसकी किसी शर्त के अंतर्गत अथवा उसके संबंध में बीमित व्यक्ति अथवा कंपनी के क्रमश अधिकारों अथवा दायित्वों में कोई परिवर्तन नहीं होगा अथवा उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भवदीय,

स्थान :

दिनांक :

अग्रेषित कृपया पत्र की पावती सूचना भेजने का कष्ट करें। यह भी आग्रह है कि पालिसी के अंतर्गत जब भी किसी दावे की अदायगी की जाए और साथ ही यदि नवीकरण प्रीमियम की समय-समय पर अदायगी न की जाए तो उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देने का कष्ट करें।

(लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर और पद का नाम)

स्थान :

दिनांक :

फार्म -एच/(ज)

(विनियम-29 देखिए)

मोटर गाड़ी के लिए बंधकपत्र का प्रारूप-अतिरिक्त अग्रिम

एक पक्षकार के रूप में यह श्री ..... जो ..... का पुत्र है (जिसे इसमें आगे उधार लेने वाला कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में मण्डल (इसके अतंर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) के बीच आज तारीख .....को किया गया अतिरिक्त भार का विलेख है।

उधार लेने वाले ने तारीख .....के बंधक विलेख द्वारा उसमें (जिसे इसमें आगे मूल विलेख कहा गया है) उसकी अनुसूची में उल्लिखित मोटर गाडी खरीदने के लिए ..... रुपये के अग्रिम को और विलेख में दी गई दर से ब्याज को प्रतिभूत करने के लिए विलेख में हो गई शर्तों पर मोटर गाड़ी मण्डल को आडमान रख दी है।

उधार लेने वाले को मण्डल द्वारा अग्रिम दिए गए ..... रुपए की उक्त रकम में से मूल विलेख के निबंधनों के अनुसार मूलधन और ब्याज मद्दे ..... रुपये की रकम अभी भी मण्डल को शोध्य है और संदेय है।

उधार लेने वाले को उक्त मोटर गाड़ी भारत में लाने के समय उस पर संदेय मद्दे मु. प. क. (वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम की मंजूरा) विनियम, 1989 के विनियम-21 से 31 तक के निबंधनों पर ..... रुपये के अतिरिक्त अग्रिम की आवश्यकता है।

उधार लेने वाले ने मण्डल को आवेदन किया है कि उसे ..... रुपए और अग्रिम दिए जाएं तथा मण्डल ने उसी प्रतिभूति पर और इसमें आगे उल्लिखित निबंधनों पर उसे उतनी रकम उधार देना स्वीकार कर लिया है।

उधार लेने वाले ने इस प्रकार अग्रिम दी गई रकम के उक्त मोटर गाड़ी की बाबत सीमाशुल्क का संदाय कर दिया है।

यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है :—

1. उक्त करार के अनुसरण में और उधार लेने वाले को अग्रिम दी गई ..... रुपए (शब्दों और अंकों में) की अतिरिक्त रकम के (जिसकी प्राप्ति उधार लेने वाला इसके द्वारा मण्डल के साथ यह करार करता है कि वह मण्डल को ..... रुपए की रकम या उसका शेष भाग जिसका संदाय इस विलेख की तारीख तक न किया गया हो और उस पर ब्याज इसमें दी गई रीति मे किस्तों में लौटा देगा)।

2. उधार लेने वाला मण्डल को देय उक्त रकम ..... रुपए की समान किस्तों द्वारा प्रत्येक मास के प्रथम दिन लौटाएगा और उस समय शोध्य और संदेय राशि पर उक्त नियमों के अनुसार लगाया गया ब्याज तब तक देगा जब तक कि इसके द्वारा प्रतिभूत मूलधन या इस प्रतिभूति पर शोध्य उसके किसी भाग का संदाय शेष रहता है और उधार लेने वाला यह करार करता है कि ऐसी किस्तें उक्त नियम द्वारा उपबंधित रीति में उसके वेतन से मासिक कटौती करके वसूल की जा सकेंगी अथवा यदि वह बारह मास से अधिक अवधि के लिए भारत से बाहर प्रतिनियुक्त हो कर चला जाता है या ऐसा होने पर सक्षम प्राधिकारी ने अग्रिम की शेष रकम और/या पूर्वोक्त ब्याज भारत में रुपए में लौटाने की इजाजत दे दी हो तो उधार लेने वाला करार

करता है कि वह मण्डल को ऐसी बकाया रकम का संदाय जिसे लेखा अधिकारी की बही में पूर्वोक्त अग्रिम का लेखा रखा गया है, उसके पक्ष में लिखे गए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रत्येक मास की पन्द्रह तारीख तक धन भेज कर करेगा।

3. इसके द्वारा करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि मूलधन की उक्त किस्तों में से कोई किस्त या ब्याज देय हो जाने के पश्चात् दस दिन के भीतर पूर्वोक्त रीति से दे नहीं दिया जाता है या वसूल नही कर लिया जाता है या यदि उधार लेनेवाले की मृत्यु हो जाती है या वह मण्डल की सेवा में नही रहता है या यदि उधार लेनेवाला उक्त मोटर गाडी को बेच देता है या आडमान रख देता है या उसमें अपने स्वत्व को छोड देता है या वह दिवालिया हो जाता हैं या अपने लेनदारों के साथ कोई व्यक्ति उधार लेनेवाले के विरूद्ध किसी डिक्री या निर्णय के निष्पादन में कार्यवाही आरम्भ कर देता है तो उक्त मूलधन की पूरी रकम उक्त नियम के अधीन उस पर लगाया गया ब्याज जो उस समय इस विलेख और मूल विलेख के अधीन देय हो किन्तु उसका संदाय न किया गया हो, तुरंत संदाय हो जाएगा।

4. उक्त करार और पूर्वोक्त प्रतिफल के अनुसरण में, उधार लेनेवाला यह घोषणा करता है कि वह मोटर गाडी जिसका उल्लेख मूल विलेख और इसमें आगे लिखी अनुसूची में भी किया गया है, मण्डल को ..... रुपए की उक्त राशि या इस विलेख की तारीख को शेष रकम और उस पर ब्याज के लिए जो उक्त मूल विलेख के अधीन प्रतिभूत है और इसमें इसके पूर्व दी गई शर्तों के अनुसार ..... रुपए की उक्त राशि और उस पर ब्याज के लिए प्रतिभूति होगी और वे उस पर भार होंगे तथा उसका मोचन तब तक नही होना या हो सकेगा जब तक कि इस विलेख और मूल विलेख के अधीन प्रतिभूत धन का संदाय नहीं किया जाता है।

5. यह भी करार किया जाता है कि उपर्युक्त मूल विलेख में उसके द्वारा प्रतिभूत धन के संबंध में उल्लिखित और विवक्षित सभी शक्तियां, उपबंध, और शर्तें मूलधन और ब्याज के लिए उसी रीति से पूर्णरूप से लागू की जाएगी और प्रभावी होंगी मानों वे इसमें हों और उन पर विनिर्दिष्ट रूप से लागू की गई हों तथा मानों उक्त राशि मूल विलेख द्वारा प्रतिभूत अग्रिम का भाग हो।

अनुसूची

मोटर गाडी का वर्णन	:
निर्माता का नाम	:
वर्णन	:
सिलिण्डरों की संख्या	:
इंजिन संख्या	:
चेसिस संख्या	:
लागत मूल्य	:

इसके साक्ष्यस्वरूप बंधक करने वाले/उधार लेने वाले ने तथा मण्डल की ओर से ----------विभाग/कार्यालय के श्री----------ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

आज तारीख----------को

उक्त----------ने

1. ---------- ----------

2. ---------- ----------

(साक्षी के हस्ताक्षर) (उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

मण्डल के लिए और उसकी ओर से

श्री----------

(अधिकारी का नाम व पदनाम)

ने

1. ----------(साक्षी के हस्ताक्षर) ----------

2. ---------- ----------

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए (अधिकारी का हस्ताक्षर व पदनाम)

प्ररूप—झ (आय)

एक पक्षकार के रूप में----------जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913/कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय----------में है/जो ---------- (----------का अधिनियम सं.----------) द्वारा और इसके अधीन उसी नाम और अभिनाम से निगमित निकाय है और जिसका कार्यालय----------में है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का 21) के अधीन पंजीकृत सोसाइटी है और जिसका कार्यालय----------में है (जिसे इसमें आगे "कंपनी/निगम/सोसाइटी" कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है) तथा दूसरे पक्षकार के रूप मे मण्डल (जिन्हें इसमें आगे "मण्डल" कहा गया है और इसके अंतर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है) के बीच तारीख----------को किए गए करार का ज्ञापन;

श्री---------- जो ----------का पुत्र है----------और----------निवासी है (जिसे इसमें आगे "उधार लेने वाला" अधिकारी कहा गया है) उस कंपनी/निगम/सोसाइटी में स्थायी पद धारण करता है;

उक्त उधार लेने वाला अधिकारी तारीख----------से मण्डल के अधीन सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त है और यह संभावना है कि वह इसमें आगे उल्लिखित उधार की प्राप्ति की तारीख से कम-से-कम वर्ष तक मण्डल के अधीन प्रतिनियुक्त रहेगा;

उधार लेने वाले अधिकारी ने मुरगांव पत्तन कर्मचारी (वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम की मंजूरी) विनियम, 1969 (जिसे इसमें उक्त नियम कहा गया है जिसके अंतर्गत उस समय प्रवृत्त उसका संशोधन भी है) उपबंधों के अधीन मोटर गाडी खरीदने के लिए रु. --------(रुपए---------- मात्र) के ऋण के लिए मण्डल को आवेदन किया है;

मण्डल उधार लेने वाले अधिकारी को उक्त नियम में दिए गए निबंधनों और शर्तों पर----------रुपए की उक्त रकम उधार देने के लिए सहमत ----;

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह करार किया जाता है कि उधार लेने वाले अधिकारी को मण्डल द्वारा उधार दी गई---------- ---रुपए (केवल----------रुपए) की रकम के प्रतिफलस्वरूप जो उक्त नियम के अनुसार लगाए गए ब्याज सहित उधार लेने वाले अधिकारी द्वारा मण्डल को लौटाई जानी है, कंपनी/निगम/सोसाइटी मण्डल के साथ करार करती है कि यदि उधार लेने वाला अधिकारी ----------के पद से, जिसे वह मण्डल के अधीन इस करार की तारीख को धारण करता है, उक्त उधार की पूरी रकम उस पर ब्याज सहित लौटा दिए जाने के पहले अपने मूल पद पर आ जाता है तो कंपनी/निगम/सोसाइटी उक्त नियमों के अनुसार लगाए गए ब्याज सहित बकाया रकम मूल रूप से नियत किस्तों में, उस लेखा अधिकारी को, जिसके अभिलेखों में उक्त उधार मूल रूप में दर्ज है, उधार लेने वाले अधिकारी को वेतन और भत्ता दिए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर चेक या किसी अनुसूचित बैंक के नाम देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजेगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप बंधक करने वाले/उधार लेने वाले ने और मण्डल के लिए और उनकी ओर से----------कार्यालय के श्री---------- ---------- ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

----------कंपनी/निगम/सोसाइटी के लिए और उसकी ओर से श्री----------(नाम व पदनाम) ने निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

हस्ताक्षर

1. ----------

2. ----------

मण्डल के लिए और उसकी ओर से श्री----------(नाम व पदनाम) ने निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए:

1. ----------

2. ----------

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

पदनाम :----------

कार्यालय :----------

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 1997

G.S.R. 320(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mormugao Port Employees (Grant of advances for purchase of conveyances) (Amendment) Regulations, 1997 made by the Board of Trustees for the Port of Mormugao Port Trust and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

MORMUGAO PORT EMPLOYEES (GRANT OF ADVANCES FOR PURCHASE OF CONVEYANCES) REGULATIONS, 1969—AMENDMENT

In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Section 124(1) and (2) of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees for the Port of Mormugao hereby makes the following Regulations further to amend the Mormugao Port Employees (Grant of Advances for purchase of Conveyances) Regulations, 1969 viz.

1 (i) Short Title : These Regulations may be called Mormugao Port Employees (Grant of Advances for Purchase of Conveyances) (Amendment) Regulations, 1997.

(ii) They shall come into force from the date on which the approval of the Central Government is published in the Gazette of India.

2 Substitute the existing Regulation 14 with the following :

"Sanction for an advance under these regulations shall be accorded to :—

(a) Heads of Department and those holding posts the creation of which requires prior approval of the Central Government in terms of the Major Port Trusts Act, 1963, by the Chairman;

(b) All other Class I & II employees, by the Dy. Chairman;

(c) All Class III & IV employees, by the respective Head of Department.

3 Delete Regulation 17(1)(a).

Amendment to Regulation 20

4. Introduce the following as Note (3) below Note (2) of Regulation 20.

NOTE 3 :

"In cases where the recovery of instalment is effected through the pay/leave salary bills and pay/leave salary of the employees has not been drawn in time, and the employees is unable to present his claim for pay for certain administrative reasons, the deductions in respect of the advance should be deemed to have been made in the month following the month to which the pay/leave salary relates irrespective of actual date of its drawal".

Amendment to Regulation 21

5 Introduce the following as Notes No. 4, 5, and 6 below Regulation 21.

(1) **NOTE 4 :** In this Regulation, the expression "actual price" includes Sales Tax and the cost of such items e.g. spare wheel tire and a tube or a pillion seat in a scooter, on the purchase of which the purchaser has no choice. It does not, however, cover the cost of certain accessories e.g. radio in a car, plastic covers, which are not essential and are purchased by the customer of his own volition. Insurance and registration charges of the vehicles are also not included in the "actual price".

(2) **NOTE 5 :** The expression "actual price" will include the registration money paid for in advance by the employees to the dealer while booking for the new car which is later adjusted by the dealer on allotment/ delivery towards the price of the new car".

(3) **"NOTE 6 :** Where an employee desires to keep two vehicles of different types, i.e. a motor-car and motor-cycle/ scooter/ moped and has purchased one type of vehicle with the advance drawn from the Board and wants to have advance for purchasing a different type of vehicle he may be sanctioned the same under the provisions of these Regulations, without being required to sell the previous vehicle provided he repays the outstanding amount of advance with interest before drawing the fresh advance. An advance given in such a case will be treated as second advance.

6. **Amendment to Regulation 27**

(1) Substitute the words "the purchase of a newly purchased car" appearing after the word "towards" in Clause (a) of NOTE 2 below Regulation 27, by the following :

"the purchase of the new car and the new car should be purchased within a month from the date on which the old car was sold."

(2) Delete clause (d) of NOTE 2 below Regulation 27. And renumber the clause(e) as clause (d).

7. **Amendment to Regulation 28**

Introduce the following as NOTE 3, 4, 5 & 6 below Regulation 28.

(1) NOTE 3 : The advance for the purchase of a motor-car may be applied for well in time and sanctioned by the authority competent to sanction the advance as early as possible. The advance should, however, be drawn only after the employee concerned has received a written assurance from the dealer that the supply is likely to be available within a month and a certificate to this effect is recorded on the bill for the advance. In the event of delay in supply, despite the written assurance from the dealer, the employee should apply for extension of the time limit within the permissible period of one month and seek permission for retaining the advance for a further period which should be specified. Each such request should be supported by a letter from the dealer, indicating the likely period of supply, and will be considered on merits.

(2) "NOTE 4 : Where an employee refunds the full amount of the advance before the end of the month in which it was drawn for the purchase of a car, the interest may be recovered for the actual period the advance was retained by the employee."

(3) "NOTE 5 : The authority sanctioning advance for the purchase of conveyance should ask the employee concerned to produce the registration book of the vehicle to the Accounts Officer within a period of one month from the date of purchase of the vehicle or within two months from the date of drawal of advance, whichever is earlier, to show that the vehicle purchased by him has actually been transferred in his name by the competent authority, failing which he shall be liable to pay penal interest on the entire amount of advance as provided in NOTE 2 above, from its date of drawal to the date of submission of the registration book. In case it is established that the delay in submitting the registration book is not attributable to the employee, the penal interest may not be charged for the late submission of the registration book for the period of such delay."

(4) "NOTE 6 : The sanctioning authority should ask the employee to submit the cash receipt within the prescribed time for scrutiny to ensure that the advance has been utilised for the purchase of conveyance within the prescribed period and the "actual price" as defined in NOTE 1 below Regulation 21 is not less than the amount of advance. A certificate to this effect that the cash receipt has been received and after scrutiny it has been verified that the amount of advance has been fully utilised for the purchase of the conveyance within the prescribed period and that the "actual price" as defined in NOTE 1 below Regulation 21 is not less than the amount of the advance, should invariably be furnished to the Accounts Officer. Thereafter, the cash receipt may be returned to the borrower.

8. **Amendment to Regulation 29**

Introduce the words "and or H" in between the words "Form F" and "appended to" appearing in Regulation 29.

9. **Amendment to Regulation 32**

Add the following words at the end of Regulation 32 :

"or moped such an advance shall be subject to the same conditions regulating the advance for purchase of a motor-car".

10. **Amendment to Regulation 37**

Introduce the following as new Regulation 37(A) below the heading "D-PERSONAL COMPUTER"

"D-PERSONAL COMPUTER"

37-A. The authority competent to sanction an advance for the purchase of motor car in terms of Regulation 14 may sanction an advance not exceeding Rs. 45,000/- or the anticipated price (excluding customs duty, if any), whichever is less to an employee, who is otherwise eligible for the grant of motor car advance in terms of Regulation 17 for purchase of a personal computer.

Conditions of Sanction :

(1) The employee can draw an advance for the purchase of either a motor car or a Personal computer, provided he has repaid fully with interest, the advance, if any, availed of earlier for the purchase of a motor-car/ personal computer.

(2) The employee who was already drawn an advance for the purchase of a motor car and period of 4 years has not elapsed from the date of drawal of the advance, shall not be eligible for the grant of an advance for the purchase of a Personal Computer. Similarly, an advance for the purchase of a motor car can be sanctioned to an employee only four years after sanction of an advance for the purchase of a Personal Computer.

(3) The Personal Computer will be required to be mortgaged in the name of the Board and for this purpose, Form "F" may be used by substituting the words "Motor Vehicle" with the words "Personal Computer". Similarly, Forms of Agreement "D" and "E" for drawing an advance for the purchase of motor car may be used by substituting the words "Motor Vehicle" by the words "Personal Computer"

(4) An application for the grant of advance for the purchase of a Personal Computer shall be required to be made in Form "C".

(5) No advance for the payment of customs duty on the Personal Computer shall be sanctioned.

Recovery of Advance :

(6) The advance sanctioned for the purchase of a Personal Computer shall be recovered in such number of equal monthly instalments as the employee may elect, but not exceeding 150

Interest :

(7) Simple interest at such rates as may be fixed by the Board from time to time for the motor car advance shall be charged on advances granted to employee for the purchase of a Personal Computer

(8) All other conditions laid down in these Regulations regulating the sanctioning of motor car advance will apply to the advance, which may be sanctioned for the purchase of a Personal Computer.

11. **Amendment to Regulation 39**

Introduce the following as a new Regulation 39 :

"39. ADOPTION OF GOVERNMENT ORDERS

In applying the foregoing regulation and in respect of matter not dealt with in these Regulations the Central Government General Financial Rules and orders of the Central Government issued thereunder from time to time, shall be followed in so far as they are not inconsistent with the provisions of these Regulations, subject to such exceptions and modifications as the Board may, from time to time determine "

12. Substitute the existing Forms 'D', 'E', 'F and 'G' with new forms 'D', 'E', 'F and 'G' and introduce new forms viz. 'H' and 'I'.

[F. No. PR-12016/8/95-PEI]

K. V. RAO, Jt. Secy

Foot Note : The Principal regulations were published in the Goa, Daman & Diu State, Gazette vide 27-GA(12)/69 dt. 4-9-1969 and subsequently amended vide :—

1. G.S.R. 278 (E) dated 10-3-87

2. G.S.R. 569 (E) dated 23-8-93

FORM 'D'

(See Regulation 29)

FORM OF AGREEMENT TO BE EXECUTED BEFORE

DRAWING AN ADVANCE FOR THE PURCHASE OF AN

MOTOR VEHICLE/PERSONAL COMPUTER.

AN AGREEMENT made on ..... day of ..... one thousand nine hundred and ..... BETWEEN ..... (hereinafter called the Borrower which expression shall include his heirs, administrators, executors and legal representatives) of the one part and the Board of Trustees for the Port of Mormugao (hereinafter called the Board, which expression shall include his successors and assignees) of the other part, whereas the Borrower has under the provisions of the Mormugao Port Employees' (Grant of advances for purchase of conveyances) Regulations, 1969 (hereinafter referred to as the said Regulations which expression shall include any amendments thereof for the time being in force) applied to the Board for a loan of Rs. ..... for the purchase of a personal computer and whereas the Board has agreed to lend the said amount to the Borrower on the terms and conditions hereinafter contained. NOW IT IS HEREBY AGREED between the parties hereto that in consideration of the sum of Rs. ..... to be paid by the Board to the Borrower (the receipt of which the Borrower hereby acknowledges) the Borrower hereby agrees with the Board (1) to pay the Board the said amount with interest calculated according to the said Regulations by monthly deductions from his salary as provided in the said Regulations and hereby authorises the Board to make such deductions, and (2) within one month from the date of these presents to expend the full amount of the said loan in purchase of a motor vehicle or if the actual price paid is less than the loan to repay the difference to the Board forthwith, and (3) to execute a document hypothecating the personal computer to the Board as security for the amount to be lent to the Borrower as aforesaid and interest in the form provided by the said Regulations and IT IS HEREBY LASTLY AGREED AND DECLARED THAT IF THE PERSONAL COMPUTER has not been purchased and hypothecated as aforesaid within one month from the date of these presents or if the Borrower within that period becomes insolvent or quits the service of the Board or dies, the whole amount of the loan and interest accrued theron shall immediately become due and payable.

IN WITNESS whereof the BORROWER and ..... for and on behalf of the Board have hereunto set their hands the day and year first before written.

Signed by the said in the presence of

....

.....(Signature of witness) Signed by (Name and designation) of the borrower)

..... For and on behalf of the Board of Trustees in the presence of .....

..... (Signature of witness) ..... (Signature and designation of the Officer)

FORM 'E'

(See Regulation 29)

FORM OF AGREEMENT TO BE EXECUTED BEFORE DRAWING AN ADVANCE FOR THE PURCHASE OF A MOTOR VEHICLE/PERSONAL COMPUTER

AN AGREEMENT made on.....day of.....one thousand nine hundred and.....BETWEEN.....(hereinafter called the Borrower which expression shall include his heirs, executors, administrators and legal representatives) of the one part and the Board of Trustees for the Port of Mormugao (hereinafter called the Board, which experssion shall include his successors and assigns) of the other part.

WHEREAS the Borrower has purchased/agreed to purchase the personal computer described in the schedule hereunder written, (hereinafter referred to as the "said personal computer"). AND whereas the Borrower has under the provisions of the Mormugao Port Employees' (Grant of Advances for purchase of conveyances) Regulations, 1969 (hereinafter referred to as the said Regulations which expression shall include any amendment thereof for the time being in force), applied to the Board for a loan of Rs.....for the purchase of a personal computer and whereas the Board has agreed to lend the said

amount to the Borrower on the terms and conditions hereinafter contained. NOW IT IS HEREBY AGREED between the parties hereto that in consideration of the sum of Rs..... to be paid by the Board to the Borrower (the receipt of which the Borrower hereby acknowledges) the Borrower hereby agrees with the Board (1) to repay to the Board and said amount with interest calculated according to the said Regulations by monthly deductions from his salary as provided in the said Regulations and hereby authorises the Board to make such deductions and (2) within one month from the date of these presents to expend the full amount of the said loan in the repayment of any loan obtained by him from a private party/the.....(bank) for the purchase of the said personal computer of if the actual price paid is less than the loan to repay the difference to the Board forthwith, and (3) to execute a document hypothecating the said personal computer to the Board as security for the amount to be lent to the borrower as aforesaid and interest in the form provided by the said Regulations and IT IS HEREBY LASTLY AGREED AND DECLARED THAT IF THE PERSONAL COMPUTER has not been purchased and hypothecated as aforesaid within one month from the date of these presents or if the Borrower fails to repay the amount of the loan obtained by him from a private party..... (bank) for the express purpose of purchasing the said personal computer within one month from the date of these presents or if the Borrower within that period becomes insolvent or quits the service of the Board or dies, the whole amount of the loan and interest accrued thereon shall immediately become due and payable.

THE SCHEDULE

Description of Personal Computer :

Maker's name :

Description :

No. of Cylinders :

Engine Number :

Chassis No. :

Cost Price :

IN WITNESS whereof the Borrower and.....for and on behalf of the Board have hereunto set their hands the day and year first above written.

Signed by the said in the presence of :

....

....

(Signature of Witnesses) (Signature and designation of the Borrower)

Signed by (name and designation)

.....

for and on behalf of the Board of

Trustees in the presence of

....

....

(Signature of Witnesses) (Signature and designation of the Officer)

Name and designation of the Borrower.

FORM "F"

FORM OF MORTGAGE BOND FOR MOTOR VEHICLE/PERSONAL COMPUTER INITIAL ADVANCE

THIS INDENTURE made this..... .....of..... one thousand nine hundred and ..... BETWEEN.....(hereinafter called "the Borrower" which expression shall in-

clude his heirs, administrators, executors and legal representatives) of the one part and the BOARD OF TRUSTEES for the Port of Mormugao (hereinafter called "the Board" which expression shall include his successors and assignees) of the other part. WHEREAS the Borrower has applied for and has been granted an advance of Rs.....to purchase a Motor vehicle on the terms of Regulations 21 to 32 of the Mormugao Port Employees (Grant of advances for purchase of conveyance) Regulations, 1969 (hereinafter referred to as "the said Regulations" which expression shall include any amendment thereof or addition thereto for the time being in force) AND WHEREAS one of the conditions upon which the said advance has been/was granted to the Borrower is/was that the Borrower will/would hypotheeate the said Motor vehicle within a month after its purchase to the Board as security for the amount so advanced as aforesaid the Motor vehicle particulars whereof are set out in the Schedule hereunder written.

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the said agreement and for the consideration aforesaid the Borrower doth hereby covenant to pay to the Board the sum of Rs. ..... aforesaid or the balance thereof remaining upaid at the date of these presents by equal payments of Rs. ..... each on the first day of every month and will pay interest on the sum for the time being remaining due and owing calculated according to the said Regulations and the Borrower doth agrees with that such payments may be recovered by monthly deductions from his salary in the manner provided by the said Regulations and in further pursuance of the said agreement the Borrower doth hereby assign and transfer upto the Board the Motor Vehicle the particulars whereof are set out in the Schedule hereunto written by way of security for the said advance and the interest thereon as required by the said Regulations.

And the Borrower doth hereby agree and declare that he has paid in full the purchase price of the said Motor Vehicle and that the same is his absolute property and that he has not pledged and so long as any money remain payable to the Board in respect of the said advance will not sell, pledge or part with the property in or possession of the said Motor Vehicle. PROVIDED ALWAYS and it is hereby agreed and declared that if any of the said instalment of principal or interest shall not be paid or recovered in manner aforesaid within ten days after the same are due or if the Borrower shall die at any time cease to be in Board's service or if the Borrower shall sell or pledge or part with the property in or possession of the said Motor Vehicle or become insolvent or make any composition or arrangement with his creditors or make any composition or arrangement with his creditors or if any person shall take, proceeding in execution of any decree or judgement against the Borrower the whole of the said principal sum which shall then be remaining due and unpaid together with interest thereon calculated as aforesaid shall forthwith become payable. AND IT IS HEREBY AGREED and declared that the Board may on the happening of any of the events hereinbefore mentioned seize and take possession of the said Motor Vehicle and either remain in possession thereof without removing the same or else may remove and sell the said Motor Vehicle either by public auction or private contract and may out of the sale moneys retain the balance of the said advance then remaining unpaid and any interest due thereon calculated as aforesaid and all costs, charges, expenses, and payments property incurred or made in maintaining, defending or realising his right hereunder and shall pay over the surplus, if any, to the Borrower, his executors, administrators or personal representative PROVIDED FURTHER that the aforesaid power of taking possession or selling of the said Motor Vehicle shall not prejudice the right of the Board, to sue the Borrower or his personal representatives for the said balance remaining due and interest or in the case of the Motor Vehicle being sold the amount by which the net sale proceeds fall short of the amount owing and the Borrower hereby further agrees that so long as any moneys shall remain due and owing to the Board, he, the Borrower will insure and keep insured the said Motor Vehicle against loss or damage by fire, theft, or accident with an insurance company to be approved by the Board and will produce evidence to the satisfaction of the Board that the Motor Insurance Company with whom the said Motor Vehicle is insured have received notice that the Board is interested in the Policy and the Borrower hereby further agrees that he will not permit or suffer the said Motor Vehicle to be destroyed or injured or to deteriorate in a greater degree that it would deteriorate by reasonable wear and tear thereof and further that in the event of any damage or accident happening to the said Motor Vehicle, the Borrower will forthwith have the same repaired and made good.

THE SCHEDULE

Description of Motor Vehicle:

Maker's Name

Description:

No of cylinders:

Engine number:

Chassis no :

Cost price:

IN WITNESS WHEREOF the said ..... (Borrower's name) and ..... for and on behalf of the Board have hereunto set their respective hands the day and year first above written. Signed by the said.

(Signature and designation of the Borrower) in the presence of

1. .....

2. .. ..

(Signature of witness) (Signature & Designation of the Signed by (name and designation)

for and on behalf of the Board of Trustees in the presence of

1. .....

2. ... .

(Signature of witnesses) Name and designation of the Borrower (FOR MORTGAGE OF PERSONAL COMPUTER SUBSTITUTE "PERSONAL COMPUTE FOR MOTOR VEHICLE)

FORM–G

[See note (1) below Regulation 29]

LETTER TO THE INSURANCE COMPANY

From

To

(Through the Accounts Officer)

Dear Sir.

I am to inform you that the Board of Trustees is interested in the Motor Car/Cycle/Scooter/Moped/Personal Computer Insurance Policy No.....secured in your Company and to request that you will kindly insert a clause to the following effect in the Policy :—

Form of clause to be inserted in the Insurance Policy.

1. It is hereby declared and agreed that Mr.....(the owner of the Motor Car/Cycle/Scooter/Moped/Personal Computer, hereinafter referred to as the insured in the schedule to this Policy) has hypothecated the Motor Car/Cycle/Scooter/Moped/Personal Computer, to the Board of Trustees (hereinafter called the Board) as security for an advance for the purchase of the motor car/cycle/scooter/moped/personal computer, and it is further declared and agreed that the Board is interested in any moneys which but for this endorsement be payable to the said Mr... .....(the insured under this policy) in respect of the loss or damage to the said Motor Car/Cycle/Scooter/Moped/Personal Computer which loss or damage is not made good by repair, reinstatement or replacement) and such moneys shall be paid to the Board as long as he is the mortagagee of the Motor Car/Cycle/Scooter/Moped/Personal Computer and his receipt shall be full and final discharge to the Company in respect of such loss or damage.

2. Save as by this endorsement expressly agreed, nothing herein shall modify or affect the rights or liabilities of the insured or the Company, respectively under or in connection with this policy or any term, provision or condition thereof.

Yours faithfully,

Place .

Date :

Forwarded, the receipt of the letter may kindly be acknowledged. It is also requested that the undersigned may kindly be informed whenever any claim is paid under the policy and also if the premium is not paid periodically for renewal.

Place :

Date : Signature and Designation of the Accounts Officer)

FORM-H

(See Regulation 29)

FORM OF MORTAGE BOND FOR MOTOR VEHICLE-FURTHER ADVANCE

This deed for further charge is made this.....day of. .....between..... son of .....(hereinafter called "the Borrower", which expression shall, unless excluded by or repugnant to the subject or context, include their successors and assigns) of the one part and the Board (which expression shall unless excluded by or repugnant to the subject or context include its successors and assigns) on the other part.

Whereas by Deed of Mortgage, dated.....day of .... ,the borrower hypothecated to the Board the Motor vehicle described in the schedule thereto to secure the Motor Vehicle purchase advance of Rs... .....with interest at the rate and on conditions mentioned in the said Deed of Mortgage (hereinafter referred to as the "Principal Deed)".

And whereas out of the said sum of Rs..... .....advanced to the Borrower by the Board a sum of Rs..... .....towards principal and interest as per the terms of the Principal Deed still remain due and payable to the Board.

And whereas the Borrower being in need of a further advance of Rs..... .....on the terms of Regulation 21 to 31 of MPE (Grant of advances for the purchase of conveyance) Regulations 1969 (hereinafter referred to as "the said Regulations)" towards payment of customs duties payable on the said vehicle at the time of bringing the same to India.

And whereas the Borrower has approached the Board for an advance of further sum of Rs..... and the Board has agreed to lend the same on the same security and on terms hereinafter expressed.

And whereas the Borrower has paid the customs duty in respect of the said Motor Vehicle with the amount so advanced.

NOW THIS DEED WITNESSETH :—

1. In pursuance of the said agreement and in consideration of the further sum of Rs . ...(in words as well as in figures) advanced to the Borrower (receipt of which the Borrower hereby acknowledges) the borrower hereby covenants with the Board to repay to the Board the sum of Rs . ... of the balance thereof remaining unpaid at the date of these presents with interest thereon by instalment in the manner herein.

2. The Borrower shall repay the said sum due to Board by equal payment of Rs ... .each on the first day of every month and will pay interest on the sum for the time being remaining due and being calculated according to the said rules so long as the principal moneys hereby secured or any part thereof due on this security remain unpaid and the Borrower doth agree that such payment may be recovered by monthly deduction from his salary in the manner provided by the said regulation or where, in the event of his proceeding on deputation out of India for a period exceeding twelve month the competent authority has allowed repayment of the amount of advance remaining unpaid and/or interest as aforesaid on the happening of such an event in rupees in India, the Borrower doth hereby agree to pay to Board such dues by remittance through bank draft drawn by the 15th of every month in favour of the Accounts Officer in whose books the accounts of the aforesaid advance are kept.

3. It is hereby agreed and declared that if any of the said instalments of the principal or interest shall not be paid or recovered in the manner aforesaid with ten days after the same are due service or if the Borrower dies or at any time ceases to be in Board service or if the Borrower shall sell or pledge or part with the property in or of the said Motor Vehicle or become insolvent or make any composition or arrangement with his creditors or if any person shall take proceedings in execution of any decree or judgement against the Borrower, the whole of the principal sums and interest thereon calculated under the said rules which shall then be remaining due and unpaid under these presents and the Principal Deed shall forthwith become payable.

4 In pursuance of the said agreement and the consideration aforesaid the Borrower doth hereby declare that the MotorVehicle described in the Schedule to the Principal Deed and which is also described in the Schedule hereunder shall be security for and charged with payment to the Board as well of the said sum of Rs . . . .or interest thereon secure under the said Principal Deed and the said sum of Rs .. ..and interest thereon according to the covenant in the behalf hereinbefore contained and the same shall not be redeemed or redeemable until payment of the moneys secured under this Deed and the Principal Deed.

5. And it is hereby agreed that all powers, provisions and covenants contained and implied in the aforesaid Principal Deed in relation to the money secured thereby shall operate and take effect in like manner for securing payment of the principal and interest and to the security as fully as if the same had been herein set out and specifically made applicable thereto and as if the said sum had formed part of advance secured by the Principal Deed.

SCHEDULE

Description of Motor Vehicle :

Maker's name :

Description :

No. of cylinders :

Engine No. :

Chassis No. :

Cost price :

In witness whereof the Mortgager/Borrower has hereunto set his hand and Shri..... .....in the Deptt./ Office of .....for and on behalf of the Board has hereunto set his hand.

Signed by the .....

in the presence of

1..... .....

2..... .....

(Signature of Witnesses) (Signature and designation of the Borrower)

Signed

(Name and Designation)

....

for and on behalf of the Board of Trustees in the presence of

1..... .....

2..... .....

(Signature of Witnesses) (Signature & Designation of the Officer)

FORM-I

[See Regulation 17 (d)]

Memorandum of Agreement made on the.....day of .....one thousand nine hundred and .....between .....a company incorporated under the Indian Companies Act, 1913/the Companies Act, 1956, having its registered office at..... .....a body corporate incorporated under the same name and style by and under.....(act No.....of.....) having its office at.....a society registered under the Societies Registration Act (21 of 1860) having its office at.....(hereinafter called "the company/corporation/society" which expression shall include its successors and assigns) of the one part and the Board (which expression shall include his successors and assigns) of the other part.

Whereas Shri.....son of.....resident of.....(hereinafter called "the borrowing officer)" holds a permanent post in the Company/Corporation/Society.

And whereas since the .....day of ..... one thousand nine hundred and.....the Borrowing Officer has been on deputation for service under the Board and is likely to continue to be on deputation under the Board for a period of not less than three years from the date of drawal of the loan hereinafter recited.

And whereas the borrowing Officer has, under the provisions of the Mormugao Port Employees (Grant of advance for purchase of conveyances) Regulation 1969 (hereinafter referred to as the said rules which expression shall include any amendment thereof for the time being in force), applied to the Board for a loan of Rs..... (Rupees.....only) for the purchase of a motor vehicle.

And whereas the Board has agreed to lend the said amount of Rs.....to the Borrowing Officer on the terms and conditions laid down in the said rules.

Now it is hereby agrees by and between the parties hereto that in consideration of the sum of Rs..... (Rupees .....only) lent by the Board to the Borrowing Officer which said amount with interest calculated according to the said rules is repayable by the borrowing officer to the Board, the Company/Corporation/Society hereby agrees with the Board that in the event of reversion of the borrowing officer from the post of .....held by him on the date hereof under the Board before the completion of the repayment of the said loan with the interest thereon. the company/corporation/society shall remit the amount outstanding together with interest calculated according to the said rules in instalments as originally fixed by the Accounts Officer in whose records the said loan stands originally booked by means of a cheque or a

demand draft on a scheduled bank, and the said remittance shall be made within seven days from the date of payment of salary and allowance to the borrowing officer.

IN WITNESS WHEREOF the Mortgagor/Borrower has hereunto set his hand and Shri..... .....in the department/office of.....for and on behalf of the Board has hereunto set his hand.

Signed for and on behalf of

_____

Company/Corporation/Society by Shri.....(Name and designation)

1.....

2.....

Signed by Shri.....(and and designation) for and on behalf of the Board in the presence of

1.....

2.....

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 - 1997